

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उपनाम

..... बनाम
लीलाधर उर्फ राजमल रामभूति आदि

दावा बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 7/2020


निर्णय दिनांक :- 29-11-2021

वादी की ओर से वकील सुनील कुमार की व प्रतिवादी सं०..... की ओर से वकील विनाय की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रेडी भोजा डंगराना के खाला सं० 403/372 के खसरा सं० 340 की उ० 806 ई० खसरा सं० 367 की 2.947 ई० कुल 6.753 ई० बालना खातेदारी हबि भूमि रामभूति व राजमल के नाम से 233 हिस्सा खातेदारी दर्ज है उक्त वगिरे वाद भूमि में राजमल के स्थान पर लीलाधर उर्फ राजमल की वीथणा की जति है। उक्त खसरा रिकार्ड में लीलाधर उर्फ राजमल सुरस्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल परामद किया जावे। भूमि हबि भूमि के रदन घाला रदनभूत होने के उपरान्त घ राजस्व रिकार्ड में अमल परामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
प्र.गा. के संग अ-2021
कैम्प डंगराना